

राजस्थान सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

सूचना पुस्तिका (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा—4 के संदर्भ में)

2022

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1) बी—अधिनियम के प्रभावी होने के कारण पर्यावरण विभाग से संबंधित सूचना का प्रकाशन

क्र.स.	विषय सूची	पृष्ठ सं.
(i)	संगठन की संरचना, कार्यों एवं कर्तव्यों का विवरण	3—5
(ii)	संस्था के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अधिकार एवं कर्तव्य	6-8
(iii)	निर्णय लेने की प्रक्रिया एवं उनका स्तर	9—12
(iv)	कर्तव्यों के निर्वहन हेतु निर्धारित मानदण्ड	
(v)	संस्था द्वारा संधारित नियम, विनियम, अधिनियम जो इसके कर्मचारियों कर्तव्य निर्वहन में उपयोग किए जाते हैं।	13
(vi)	संस्था द्वारा धारित दस्तावेजों का विवरण	14
(vii)	नीति निर्धारण प्रक्रिया एवं इनके क्रियान्वयन में आम जन से सम्पर्क की विधमान व्यवस्था यदि हो	15
(viii)	संस्था के अधीन बोर्ड, परिषद, कमेटी का विवरण जो इसकी सलाह हेतु गठित किए गए हैं तथा क्या इनकी बैठकों में जन सामान्य की सहभागिता है अथवा इन बैठकों का कार्यवाही विवरण जनसामान्य की समीक्षा योग्य हैं।	16-20
(ix)	संस्था के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका	21-22
(x)	संस्था के अधिकारियों एंव कर्मचारियों की मासिक वेतन/मेहनताना का विवरण तथा क्षतिपूरक भत्ता यदि कोई हो।	
(xi)	संस्था के प्रत्येक एजेन्सी को आवंटित बजट, योजनाओं, सभी संभावित खर्चों का विवरण तथा आवंटन पर टिप्पणी।	23
(xii)	अनुदानित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की व्यवस्था, लागत, लाभान्वितों का विवरणं	24
(xiii)	रियायत पाने वाले व्यक्तियों का विवरण, अधिकार पत्र आदि।	25
(xiv)	सूचनाओं की वर्तमान में कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था	26
(xv)	आम नागरिकों को सूचना प्राप्ति हेतु दी जाने वाली सुविधाओं का विवरण, समयाविध।	27—28
(xvi)	जन सूचना अधिकारी के नाम, पद एवं अन्य विवरण	29
(xvii)	ऐसी अन्य सूचनाएं जो निर्धारित एवं आदिनांकित की जा सके।	30

(i) धारा संगठन की संरचना, कार्यों एवं कर्तव्यों का विवरण 4(1)बी—(i)

पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग


प्रकृति ने हमें शुद्ध एवं ताजा पानी और हवा की प्रचुरता प्रदान की है, लेकिन जनसंख्या विस्फोट, वैज्ञानिक विकास, औद्योगीकरण और अनियंत्रित शहरीकरण के कारण प्राकृतिक संसाधन नियमित रूप से घटते जा रहे हैं। स्वस्थ पर्यावरण मानकों में वृद्धि के साथ आने वाली पीढ़ी के आनंद और आरामदायक जीवन की आवश्यकता के लिए यह हमारा नैतिक कर्तव्य है। उन उद्देश्यों को पूरा करने और पर्यावरणीय समस्याओं को दूर करने के लिए, राजस्थान सरकार ने सितंबर, 1983 से पर्यावरण विभाग की स्थापना की है। पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण के किंच कार्य को संबोधित करने के लिए, 2019 में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना की गई है।

पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का कार्य एवं उद्देश्य -

- पर्यावरण विभाग का आदेश पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 / पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 और अन्य सभी नियमों, विशेष रूप से जैव—चिकित्सा अपिशष्ट प्रबंधन नियम—2016, ठोस अपिशष्ट प्रबंधन नियम—2016, प्लास्टिक अपिशष्ट प्रबंधन नियम—2016, ई—कचरा (प्रबंधन) नियम—2016, खतरनाक और अन्य अपिशष्ट (प्रबंधन और सीमापार आवाजाही) नियम—2016, निर्माण और विध्वंस अपिशष्ट प्रबंधन नियम—2016 के अनुपालन से निपटने के लिए है।
- पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड, वैज्ञानिक संस्थानों, अन्य सरकारी निकायों, शैक्षणिक / अनुसंधान एवं विकास संस्थानों और नागरिक समाज और चुनिंदा प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं द्वारा आगे लाए गए पर्यावरणीय प्रभावों के मूल्यांकन / अध्ययन के लिए एक समर्पित सरकारी स्तर के संगठन की आवश्यकता को पूरा करेगा। यह पर्यावरण संरक्षण के लिए विशिष्ट हस्तक्षेपों के लिए विशिष्ट क्षेत्रों में संसाधनों की तैनाती और आवंटन की सुविधा प्रदान करेगा।
- निदेशालय सभी मौजूदा पर्यावरण से संबंधित संस्थानों के प्रशासनिक नियंत्रण करेगा, और जो राज्य में स्थापित है और स्थापित किए जा रहे हैं।

- निदेशालय विकास योजनाओं से संबंधित योजना स्तर पर पर्यावरण मूल्यांकन करेगा, पर्यावरण संरक्षण के लिए योजनाएं, कार्यक्रम तैयार और निष्पादित करेगा। यह अन्य सरकारी एजेंसियों और गैर—सरकारी संगठनों द्वारा तैयार किए गए पर्यावरण संबंधी प्रस्तावों की जांच करेगा।
- निदेशालय क्षेत्र में संबंधित एजेंसियों के सहयोग से राज्य स्तरीय पर्यावरण विकास कार्यक्रमों को शुरू करेगा और लागू करेगा और निगरानी करेगा। यह राज्य स्तरीय विकास कार्यक्रम (योजना, गैर योजना, बाहरी सहायता प्राप्त, केंद्र प्रायोजित योजनाएं आदि) और केंद्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं और कार्यक्रमों को भी लागू करेगा।
- निदेशालय मुख्य रूप से राज्य में पर्यावरण प्रवृत्तियों के आकलन, उचित कार्यक्रमों और नीतियों के माध्यम से पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता के विश्लेषण के लिए जिम्मेदार होगा। यह प्रशासन, आर्थिक, वित्तीय और बाजार से संबंधित शासन तंत्र पर सरकार को नीतिगत सलाह देगा।
- निदेशालय स्वायत्त संस्थानों के लिए प्रशासनिक और प्रबंधन केंद्र बिंदु के रूप में काम करेगा, जिन्हें भविष्य में स्थापित किया जाना है जैसे कि आर्द्रभूमि प्राधिकरण, राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण, राज्य पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण आदि।
- निदेशालय अधिनियमों और अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के कार्यान्वयन के लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वय करने के लिए नोडल एजेंसी होगा और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील विकेन्द्रीकृत योजना और कार्यान्वयन के लिए पर्यावरण प्रौद्योगिकी प्रदाताओं, जागरूकता पैदा करने और नागरिक समाज के साथ उनके संबंधों की सुविधा प्रदान करेगा।
- निदेशालय जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (National Action Plan) लागू करेगा।
- सरकार द्वारा समर्थित और स्वीकृत विभिन्न पर्यावरण संबंधी परियोजनाएं, योजनाएं, भारत के विभिन्न विभागों और संगठनों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा निदेशालय द्वारा समन्वयित किया जाएगा।
- निदेशालय पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 से संबंधित शिकायतों की जांच कर उचित कार्रवाई करेगा।

पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का संगठनात्मक ढांचा



(ii) धारा संस्था के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अधिकार एवं 4(1)बी—(ii) कर्तव्य तथा कर्तव्यों के निर्वहन हेतु निर्धारित मानदण्ड

पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में पदस्थापित विभिन्न अधिकारियों का कार्य निर्धारण

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

- 1. विधि शाखा, वैटलेण्ड ऑथोरिटी, लेखा शाखा, संस्थापन शाखा, शिक्षा एवं प्रचार प्रसार शाखा से संबंधित समस्त प्रकरणों का निस्तारण।
- 2. लोक सभा, राज्य सभा, विधान सभा आदि से संबंधित प्रकरणों का निस्तारण।
- 3. पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से संबधित बैठकों आदि से संबंधित कार्य।
- 4. सचिव / विशेषाधिकारी एवं अतिरिक्त शासन सचिव द्वारा निर्देशित समस्त कार्य।
- 5. आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा सम्पादित किये जाने वाले समस्त कार्य।
- 6. राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) एवं राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) का कार्य।
- 7. विभागीय वेबसाईट के अपडेशन एवं मॉनिटरिंग से संबंधित कार्य।
- 8. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल एवं राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड के प्रशासनिक कार्य।

उप निदेशक

- 1. कानूनी अनुभाग, लेखा, स्थापना, पर्यावरण शिक्षा प्रचार और कंप्यूटर अनुभाग से संबंधित मामले।
- 2. लोकसभा, राज्य सभा, विधानसभा आदि से संबंधित मामले।
- 3. पर्यावरण विभाग से संबंधित बैठक से संबंधित मामले।
- 4. अतिरिक्त शासन सचिव / प्रमुख शासन सचिव एवं शासन सचिव, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन द्वारा सौंपे गए समस्त कार्य एवं कर्तव्य।
- 5. आहरण एवं वितरण अधिकारी के कर्तव्यों से संबंधित सभी कार्य।

विधि शाखा (वरिष्ठ विधि अधिकारी)

- 1. विधायी प्रारूपण संबंधी कार्य (अधिनियमों, नियमों एवं उप नियमों आदि से सबंधित समस्त कार्य)।
- 2. वैधिक मामलों का परीक्षण एवं परामर्श संबंधी समस्त कार्य।
- 3. वादकरण संबंधी कार्य—नोटिस, याचिका दावे एवं जबाव दावे इत्यादि का परीक्षण / परामर्श संबंधी समस्त कार्य।
- 4. अपीलीय मामले एवं निर्णय आदि का परीक्षण एवं परामर्शी एवं विभागीय विशिष्ट वैधिक कार्य।
- 5. सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 से संबंधित सभी कार्य।

लेखा शाखा (लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार)

- 1. बिल एवं लेखा समय पर तैयार करवाना।
- मासिक व्यय प्रतिवेदन तैयार करवाना एवं महालेखाकार कार्यालय में अंक मिलान कार्य करना।
- 3. CAG के लेखापरीक्षा ऑडिट पैरा / ड्राफ्ट पैरा से संबंधित कार्य।
- 4. जनलेखा समिति के पैराज के समस्त कार्य।
- 5. आयोजना एवं आयोजना भिन्न के बजट संबंधित समस्त कार्य।
- 6. लेखा संबंधी समस्त बैठकों का कार्य समय पर सम्पादित करना।

संस्थापन शाखा (कार्यालय सहायक / वरिष्ठ सहायक / कनिष्ठ सहायक)

पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग संस्थापन में कार्यरत कर्मचारियों / अधिकारियों के संस्थापन एवं संबंधित अन्य कार्य संस्थापन के प्रकरण की पत्राविलयां प्रकरण कार्यालय सहायक / वरिष्ठ सहायक / किनष्ठ सहायक द्वारा निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव को प्रस्तुत की जाती है।

शिक्षा एवं प्रचार प्रसार (सहायक शासन सचिव/वरिष्ठ सहायक/कनिष्ठ सहायक)

पर्यावरणीय शिक्षा एवं प्रचार प्रसार से संबंधित समस्त कार्य

- विश्व पृथ्वी दिवस (22 अप्रेल)
- विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून)
- विश्व ओजोन दिवस (16 सितम्बर)
- विश्व वैटलेण्ड दिवस (2 फरवरी)

•

विधानसभा शाखा (सहायक शासन सचिव/वरिष्ठ सहायक/कनिष्ठ सहायक)

लोक सभा, राज्य सभा, विधानसभा एवं पर्यावरणीय समितियों से संबंधित समस्त कार्य।

कम्प्यूटर शाखा (ACP/Programmer/AP/Information Assistant)

- 1. पर्यावरण विभाग की वेबसाइट का रखरखाव।
- 2. राजस्थान सरकार के वेबसाइट पोर्टल की निगरानी (विभागीय स्तर पर) -
 - राज संपर्क।
 - CMIS (मुख्यमंत्री सूचना प्रणाली)
 - LITES (मुकदमेबाजी सूचना ट्रैकिंग और मूल्यांकन प्रणाली)
 - पै-मेनेजर

- Raj-Kaj (राजस्थान ई–ऑफिस)
- राजस्थान विधानसभा
- India Code
- Jankalyan
- 3. पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के कम्प्यूटर से संबंधित समस्त कार्य।

अतिरिक्त विभागीय कार्य (सहायक शासन सचिव / वरिष्ठ सहायक / किनष्ठ सहायक)

- 1. जलवायु परिवर्तन से संबंधित समस्त कार्य।
- 2. प्रधान मंत्री कार्यालय, मुख्य मंत्री कार्यालय से संबंधित समस्त कार्य।
- 3. स्टेट वेटलैण्ड ऑथोरिटी के कार्य आर्द्रभूमि नियम, 2017 के नियम 5 के प्रावधान अन्तर्गत 'स्टेट वेटलैण्ड ऑथोरिटी' का गठन माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री की अध्यक्षता एवं मुख्य सचिव, राजस्थान की उपाध्यक्षता में दिनांक 27.11.2019 को किया गया है।

कार्य

- प्रदेश के सभी वेटलैण्डस की व्यापक डिजीटल सूची तैयार करना।
- परिभाषा के आधार पर चिन्हित वेटलैण्डस को अधिसूचित करना।
- अधिसूचित वेटलैण्डस की एकीकृत प्रबन्ध योजना तैयार करना एवं क्रियान्विति हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करना।
- अधिसूचित वेटलैण्डस में विनियमित (Prohibitory) और अनुज्ञात किये जाने कार्यकलापों और प्रभाव क्षेत्र की सूची विकसित करना।
- राज्य की अन्य विकासशील योजनाओं को वेटलैण्ड प्रबन्धन के क्रियान्वयन के अभिसरण (Convergence) करना।
- हितधारकों(Stakeholder) और स्थानीय समुदायों में जागरूकता करना।
- क्रियान्वयन अभिकरणों को आर्द्रभूमियों के संरक्षण और सतत् प्रबन्धन हेतु
 आवश्यक निर्देश करना।

(iii) & iv **धारा** निर्णय लेने की प्रक्रिया एवं उनका स्तर तथा नॉरमस् 4(1)बी—(iii) (IV)

Government of Rajasthan Department of Environment and Climate Change

No. F.1(1)Env/84

Jaipur, Dated : 25 | 05 | 20 22

STANDING ORDER

Sub:- Disposal of cases in the Environment and Climate Change Department.

In accordance with Rule 21 of Rules of Business and in supersession of all previous orders in this behalf, I hereby direct that cases & matters relating to the Environment Department other than matters indicated in Appendix 'B' to the Rules of Business, shall ordinarily be disposed of in the following manner:

follo	owing manner:	e t malend	To be disposed of by	To be submitted to	
s. N.	Items	To be examined by	10.10.00		
			D	E	
A	В	C	Principal Secretary		
	Parliamentary questions	Gr.Officer/DD/ JS	Principal Secretary	Minister Environment	
4		Gr.Officer/DD/ JS	Principal Secretary	Minister Environment	
1.		Gr.Officer/DD/ JS	Principal Secretary	Minister Environment	
4.	Reports & Recommendations of	Gr.Officer/DD/ JS		Minister Environment	
5.	Legislature Final replies to Assurances given on the	Gr.Officer/DD/ JS	Principal Secretary	Process Age and a supplied of the	
	floor of Legislative Assembly Drafting of Hon'ble Governor's &	Gr.Officer/DD/ JS	Principal Secretary	Minister Environment	
7.	Finance Minister's speech Implementation of Hon'ble Governor's	Gr.Officer/DD/ JS	Principal Secretary	Minister Environment	
7.	6. Umance Minister's speech		Principal Secretary		
8.	Audit Objections and Inspection Notes	Gr:Officer/DD/ JS	Principal Secretary		
9.	Deaft Pages	Gr.Officer/DD/ JS	Principal Secretary		
10.	Establishment Matters-Creation of post, Appointments postings, Deputations, VRS, Transfers, Re-employment, Re- references, promotion belonging to		a tale control	Minister Environment	
	a) State Services	Gr.Officer/DD/ JS	Principal Secretary	Minister Environmen	
	b) Other Services	Gr.Officer/DD/ JS	Principal Secretary	Williams City (Control	
11.	Disciplinary matters of Govt. servants belonging to		Principal Secretary	Minister Environmen	
	The state of the s	Gr.Officer/DD/ JS	Principal Secretary	Minister Environmen	
	a) State Services	Gr.Officer/DD/ JS	Principal Secretary	Minister Environmen	
	b) Other Services	Gr.Officer/DD/ JS	Principal Secretary	Minister Environmen	
12.	 c) Compulsory retirement Representations, appeals/review of Govt. 		Principal Secretary	Minister Environmer	
	servants against the order of HOD		Principal Secretary		
13.	Sanction of Leave	Gr.Officer/DD/ J	S Principal Secretary		
	State Services	Gr.Officer/DD/ J	S Principal Secretary		
14.	b) Other Services Permission to travel outside State or		S Principal Secretary		
15.	Sanction of pension, allowances & other service benefits according to Rules	r	Principal Secretary		
		Gr.Officer/DD/	S Principal Secretary		
	State Services Other Services	Gr.Officer/DD/			

5.	Extension to temporary appointments		Principal Secretary Principal Secretary	
	tte e Combon	21 (201	Principal Secretary	Minister Environment
	(a) Non-plan	Gr.Officer/DD/ JS	Principal Secretary	Minister Environment
	(b) Plan/EAP/CSS	Gr,Officer/DD/3S	Principal Secretary	
	Content	DD 16	Principal Secretary	Minister Environment
		Gr,Officer/DD/ JS	Principal Secretary	Minister Environment
	(b) Plan/EAP/CSS	Gr.Officer/DD/ JS	Principal Secretary	
7.	C. C. of north	100 P. 100	Principal Secretary	Minister Environment
	(A) Man when	Gr.Officer/DD/ JS	Principal Secretary	Minister Environment
	(b) Plan/EAP/CSS	Gr.Officer/DD/ JS	Principal Secretary	Minister Environment
8.	Condonation break/deficiencies	Gr.Officer/DD/ JS	Principal Secretary	Minister Environment
9.	Promotion of Subordinate/Ministerial Cadres to Gazetted Cadre	Gr.Officer/DD/ JS	8	Minister Environment
20.	Implementation of Cabinet and Govt.	Gr.Officer/DD/ JS	Principal Secretary	DOC 24 DAYS ART RESIDENCE -
	decisions.	Gr.Officer/DD/ JS	Principal Secretary	Minister Environment
21.	Issue of directions for improvement in work efficiency in department	Maria Maria Maria Maria Maria	Principal Secretary	Minister Environment
22.	Formulation of Annual Plan & Five Year Plan	Gr,Officer/DD/ JS		Titlinia in the second
23.	Budget & Proposals for new items & appropriations		Principal Secretary	
		Gr.Officer/DD/ JS	Principal Secretary	Minister Environment
	(a) Plan	Gr.Officer/DD/JS	Principal Secretary	Minister Environment
	(b) Non-plan	Gironina	Principal Secretary	
24.	Implementation & Review of	Gr.Officer/DD/ JS	Principal Secretary	Minister Environment
	(a) Plan, CSS & EAP	Gr.Officer/DD/ JS	Principal Secretary	Minister Environment
	(b) Non-plan	OI.OIIICE DE	Principal Secretary	
25.	Purchases	Gr.Officer/DD/ JS	Principal Secretary	Minister Environment
	(a) Non-plan	Gr.Officer/DD/ JS	Principal Secretary	Minister Environment
	(b) Plan/EAP/CSS		Principal Secretary	Minister Environment
26.	Formulation of new policies, Schemes, Projects, Programme & Externally Aided Projects.		GEOMATRIC CLOSE HER	Minister Environment
27.	the second secon		Principal Secretary	-6.0-
28.	Interpretation & Implementation of lega provisions relating to service rules	Gr.Officer/DD/ JS		Minister Environment
	The second second	Gr.Officer/DD/ JS	Principal Secretary	
30	the second secon	s	Principal Secretary	
	a) Monitoring of CSS schemes	Gr.Officer/DD/ JS	Principal Secretary	
	b) Follow up action of the meeting	The second secon		A 100
	taken by Addl. Chief Secretary/P Secretary	r.		Minister Environmen
	c) Inter Departmental issues	Gr.Officer/DD/ J	S Principal Secretary	(Policy Matters only
	d) Framing/Amendment of Policies	Gr.Officer/DD/J	S Principal Secretary	
	e) Amendment in Acts, Rules as Notifications	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		
	Notifications	Gr.Officer/DD/ J	S Principal Secretar	v Minister Environmen

32.	provisions of the Environmental Acts,	Gr.Officer/DD/ JS	Principal Secretary	Minister Environment
33.	Rules & Notifications Inter State Matters and Matters relating to the Central Govt.	Gr.Officer/DD/ JS	Principal Secretary	Minister Environment
	General Conditions of service	Gr.Officer/DD/ JS	Principal Secretary	-
34.			Principal Secretary	
35.	Public Complaints	Gr.Officer/DD/ JS	Principal Secretary	
	(a) Lokayukt		Principal Secretary	
	(b) Redressal of Public Grievances	Gr.Officer/DD/ JS	Principal Secretary	
	(c) Commissions of Enquiry	Gr.Officer/DD/ JS	Principal Secretary	Minister Environment
		Gr.Officer/DD/ JS	Principal Secretary	
36.	(d) Other Sources Matters relating to appointment of	SLO/DD/ JS	Principal Secretary	
	Officer-In- Charge(OIC)	Gr.Officer/DD/ JS	Principal Secretary	Minister Environment
37.	Prosecution sanction	Gr.Officer/DD/ JS	Principal Secretary	
38.	Litigation matters	Ol.Oliver e a	Principal Secretary	
39.	Statutory petitions to the Governor	Gr.Officer/DD/ JS	Principal Secretary	Minister Environment
	State Services		Principal Secretary	Minister Environment
	Others	Gr.Officer/DD/ JS	Principal Secretary	-
40.	Nomination of Govt. representative to attend conference meeting on behalf of	Gr.Officer/DD/ JS	Principal Secretary	
41.	the Govt. Foreign Training/ Higher Studies/ Research	Gr.Officer/DD/ JS	Principal Secretary	Minister Environment
42.	Formulation, Publication and Implementation of various Act/Rules	Gr.Officer/DD/ JS	Principal Secretary	Minister Environment
43.			Principal Secretary	A PLANT OF THE PARTY OF THE PAR
45.	State Services	Gr.Officer/DD/ JS	Principal Secretary	Minister Environmen Minister Environmen
	Others	Gr.Officer/DD/ JS	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAM	
44.	a man and Carolina and	No management of the second		
45.		Gr.Officer/DD/ JS		
46.	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	Gr.Officer/DD/ JS	Principal Secretary	Minister Environmen

Note:-

- Any item not included in the above categories may be submitted to the Principal Secretary and keeping in view the importance of the matters, to the Hon'ble Minister.
- Any item not in the above categories if submitted to Hon'ble Chief Minister will be routed through Principal Secretary/Hon'ble Minister.

(Hemaram Choudhary) Minister, Environment

Jaipur, Dated : 25/65/2022

Copy forwarded to the following for information and further necessary action:-

- Principal Secretary to the Governor, Rajasthan, Jaipur.
- Sr. DS to Chief Secretary, Government of Rajasthan, Jaipur.
- Principal Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Rajasthan, Jaipur.
- All Addl. Chief Secretaries/Principal Secretaries/Secretaries to the Govt. of Rajasthan, Jaipur.
- SA to all Minister/State Minister, Rajasthan, Jaipur.
- PS to Principal Secretary, Environment, Government of Rajasthan, Jaipur.
- PS to Principal Secretary, DOP, Government of Rajasthan, Jaipur 7.
- PS to Principal Secretary, ARD (Gr. VIII), Government of Rajasthan, Jaipur
- PS to Principal Secretary, GAD, Government of Rajasthan, Jaipur
- Chairman, Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur.
- Chairman, Rajasthan State Bio-diversity Board, Jaipur.
- 12. Joint Secretary, Environment and Climate Change, Government of Rajasthan, Jaipur
- 13. All Departments/Sections of the Secretariat, Government of Rajasthan, Jaipur
- 14. DD/All Group Officers of Environment and Climate Change, Jaipur.
- 15. Guard File.

Principal Secretary, Environment and Climate Change (V) धारा संस्था द्वारा संधारित नियम, विनियम, अधिनियम जो 4(1)बी-(V) इसके कर्मचारियों कर्तव्य निर्वहन में उपयोग किए जाते है।

पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन राजस्थान सेवा नियम एवं राज्य सरकार द्वारा जारी नियम/विनियम/अधिनियमों के अन्तर्गत संपादित करते हैं।

(VI) धारा 4(1) संस्था द्वारा धारित दस्तावेजों का विवरण बी-(VI)

पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में संधारित की जाने वाली पुस्तिकाएं एवं दस्तावेज

1.	रसीद बुक जीए– 55
2.	रोकड बही
3.	सेवा पुस्तिका रजिस्टर
4.	उपस्थिति रजिस्टर
5.	संस्थापन रजिस्टर
6.	बजट कट्रोल रजिस्टर
7.	स्थाई भंडार पंजिका
8.	अस्थाई भंडार पंजिका
9.	स्टेशनी पंजिका
10.	परिवादो की पंजिका
11.	बिल पंजिका
12.	चालान रजिस्टर
13.	आवक—जावक रजिस्टर
14.	सर्विस पोस्टेज रजिस्टर

(VII) धारा 4(1) नीति निर्धारण प्रक्रिया एवं इनके क्रियान्वयन में आम बी—(VII) जन से सम्पर्क की विद्यमान व्यवस्था यदि हो

पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सूचना अधिकारी, सहायक सूचना अधिकारी एंव अपीलीय अधिकारी

प्रमुख शासन सचिव, गृह के परिपत्र प.9(23)गृह—5 / 2005 दिनांक 3.10.2005 के क्रम में पर्यावरण विभाग द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा—5 के उप धारा (1) एवं (2) के अनुसार निम्नानुसार लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किये गये हैं:—

क्र.	लोक प्राधिकरण	सहायक लोक	लोक सूचना	अपीलीय
स.		सूचना	अधिकारी व	अधिकारी
		अधिकारी व	पता	
		पता एवं दूरभाष		
1.	निदेशक एवं संयुक्त	नोट:	निदेशक एवं	शासन सचिव,
	शासन सचिव,	सचिवालय स्तर	संयुक्त शासन	पर्यावरण
		पर सहायक	सचिव,	विभाग।
	पर्यावरण एवं जलवायु	शासन सचिव,	कमरा न. 8236,	
	परिवर्तन विभाग	पर्यावरण को	उत्तरी–पश्चिमी	
	कमरा न. 8236,	सहायक लोक	खण्ड, शासन	
	उत्तरी–पश्चिमी खण्ड,	सूचना	सचिवालय,	
	शासन सचिवालय,	अधिकारी	जयपुर	
	जयपुर	नियुक्त किया		
	फोन : 0141-	गया है।		
	2227669, 2227393			

(viii) धारा 4(1) संस्था के अधीन बोर्ड, परिषद, कमेटी का विवरण जो बी—(viii) इसकी सलाह हेतु गठित किए गए हैं तथा क्या इनकी बैठकों में जन सामान्य की सहभागिता है अथवा इन बैठकों का कार्यवाही विवरण जनसामान्य की समीक्षा योग्य हैं।

S. No.	Name of key initiatives/ Programmes/ Projects/Schemes/ PPP Module/Task Force	Name of Committee	Order date	Composition of Committee	Terms and reference in brief
1	2	3	4	5	6
1	Aravali Notification 1992	Permanent Expert Committee	F.6(32)AR-3/2001 dated 7.8.2001	1. Principal Secretary/Secretary , Environment Department, Government of Rajasthan Jaipur, Chairman 2. Regional Controller of Mines, Indian Bureau of Mines, Government of India, Ajmer, Member 3. Chief Wild Life Warden, Raj. Jaipur, Member 4. Chief Town Planner, Rajasthan, Jaipur, Member 5. Director, Mines & Geology, Rajasthan, Jaipur, Member 6. Director, Industries, Rajasthan, Jaipur, Member 7. Dr. G.S. Rathore, Prakartik Society, Vill., Sherpur Khiljipur, Distt. Sawai Madhopur (Nominated by MoEF), Government of India, New Delhi, Member 8. Member Secretary, Rajasthan, Jaipur, Member 9. O.S.D. & Additional Secretary, Environment Department, Jaipur, Member	To examine the proposals for certain restricted activities, which are causing environmental degradation in specified area of Aravali Range of Alwar District as specified under the Aravali Notification (S.O.319(E) dated 7.5.1992)
2	Environmental Protection Act, 1986	Expert Committee for Environment Impact Assessment of Thermal Power Plant	F.6(3)AR-3/99 dated 31.1.05	Secretary 1. Sh. P.N. Bhandari, IAS (Retd.), Chairman 2. Professor Prakash Bakre, Department of Zoology, University of Rajasthan, Jaipur, Member 3. Sh. Anand Lal Mathur, Senior Environmental Engineer, Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur Member 4. Professor Y.P. Mathur, Malviya National Institute of Technology, Jaipur. Member 5. Sh. Arun Sen, IFS, Addl. Principal Chief Conservator of Forests and Chief Wild Life Warden, Forest Deparment, Jaipur. Member 6. Chief Town Planner, Jaipur. Member 7. Dr. Geetika Kapoor, Assiociate Professor, R.A. Poddar Institute of Management, Jaipur.Member 8. Sh. A.K. Seth (Ex. Scientist & In-Charge, NEERI, Jaipur), 12/21, Malviya Nagar, Jaipur.Member 9. Dr. S.M. Mehnot, Professor (Retd.) "Sunil", H.No.109, Nehru Park, Jodhpur.Member 10. Dr. Sati Pathak, Professor of Micro-Biology and Immunology, SMS Medical College, Jaipur.Member 11. Sh. N.M. Mathur, Superintending Engineer, Kota, Thermal Power Station, Kota. Member	To examine thermal Power Projects referred to the Department of Environment, Government of Rajasthan, Jaipur and make recommendations for their approval or rejection from environmental angle. To suggest mitigative measures & pollution control devices including choice of appropriate technology for projects recommended for approval. Tenure: Three years from the date of issue.

				12. Sh. P.Ghosh, Director, B.M. Birla Institute of Science &
3	Environmental Protection Act, 1986	Committee for the	F.6(50)AR/Gr.3/20 11 dated 08.12.2011	1. Additional Chief Secretary, Environment, Chairman 2. Principal Secretary, Mines, Member 3. Principal Secretary, PWD, Member 4. Secretary, Energy, Member 5. Member Secretary, Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur, Member 7. Director cum Deputy Secretary (Environment), Member Secretary
4	National River Conservation Plan (NRCP)	State Level Committee for co- ordination & Monitoring of environmental improvement works at Kota and Keshoraipatan under NRCP for the improvement of Chambal River Environment.	F.6(63)AR/Gr.3/96 dated 24.12.96	1. Chief Secretary, Rajasthan, Jaipur, Chairman 2. Principal Secretary, PHED, Rajasthan, Jaipur, Member 3. Secretary, UDH & LSG, Rajasthan, Jaipur, Member 4. Secretary, Planning, Rajasthan, Jaipur, Member 5. Divisional Commissioner, Kota, Member 6. Joint Secretary, National River Conservation Directorate, Government of india or his representative, Member 7. Secretary, Environment & Chairman, RPCB, Member 8. Director, NEERI, Nagpur, Member 9. Collector, Kota, Member 10. Collector, Bundi, Member 11. Member Secretary, RPCB, Member 12. Addl. Chief Engineer, PHED, Kota, Member 13. Head & Incharge, NEERI, Jaipur, Member 14. OSD & Addl. Secretary, Environment, Member Secretary
5	Rajasthan State Pollution Control Board.	Constitution of Rajasthan State Pollution Control Board.	F. 27(31)Env./78 Pt. dated 28.07.2016	1. Chairman, Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur, Chairman 2. Principal Secretary, UDH, Memeber 3. Secretary, Environment, Member (Govt.) 4. Joint Secretary, Finance (Exp3), Member (Govt.) 5. Commissioner, Udyog or representative above Addl. Commissioner. Member (Govt.) 6. Chief Engineer (Head Office), P.H.E.D. Member (Govt.) 7. Mayor, Nagar Nigam, Jaipur, Member (LSG) 8. Deputy Mayor, Nagar Nigam, Udaipur Member (LSG) 9. Mayor, Nagar Nigam, Kota, Member (LSG) 10. Mayor, Nagar Nigam, Bikaner, Member (LSG) 11. Mayor, Nagar Nigam, Jodhpur, Member (LSG) 12. Managing Director, RIICO, Jaipur Member (LSG) 13. Managing Director, Rajasthan State Mines And Minerals Nigam Limited (RSMML), Member 14. Sh. Shanti Lal Balar, Jaipur, Member (Member-non Govt.)

		16.	Sh. Abhishek Sharma, Jaipur, Member, (Member-non Govt.) Major Sh. Vikash Choudhary Member, (Member-non Govt.)	
		17.	Member Secretary, Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur, (Member Secretary)	

S.No.	initiatives/Progra mmes/ Projects/Scheme s/PPP Module/Task Force	consultant with full address (including T.No. and e-mail)	and date	Topic/Terms of reference in brief		Frame for submissio n of Report	action taken there on	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		NEERI, Nagpur	MoU dated 29.4.97	Preparation of Detailed Project Reports (DPRs) of various non- core sector and core sector works under NRCP at Keshoraipata n and Kota	DPRs submitted	DPRs submitted	Sector works have been completed by the implementing agency, PHED. Core Sector works of Interception and Diversion and Sewage Treatment	1. For rest of the works viz. Solid Waste Management, Kota; I & D and STP, Kota and Public awarenes- Kota and Keshoraipatan, the reports are at various stages of approval/preparation. 2. PHED is the implementing agency and Department of Environment is the Nodal Department

S.No.	Name of key	Date of	Details
	Committees	Constitution	
	/Agencies		
1	Standing	24.12.2019	The Committee review activities of various departments concerned with
	Committee for		the management of the sambhar wetland area. The Committee also
	Management of		monitors compliance of direction of State Wetland Authority with regard
	Sambhar Lake		to the Sambhar Wetland area. The Committee reviews the
			implementation of the Sambhar Lake Management Plan.
2	State Wetland	27.11.2019	The Rajasthan State Wetland Authority will exercise the following powers
	Authority		and performs following functions, namely:
			a. Prepare a list of all wetlands of the State in a time bound manner.
			b. Prepare a list of wetlands to be notified, in a time bound manner;
			taking into cognizance any existing list of wetlands prepared/ notified
			under other relevant State Acts;
			c. Recommend identified wetlands, based on their Brief Documents, for
			regulation under these rules;
			d. Prepare a comprehensive digital inventory of all wetlands within a
			time bound manner and upload the same on the Central Government
			web portal; the inventory to be updated every ten years.

			e.	Develop a comprehensive list of activities to be regulated and
				permitted within the notified wetlands and their zone of influence;
			f.	Recommend additions, if any, to the list of prohibited activities for
				specific wetlands;
			g.	Define strategies for conservation and wise use of wetlands within
				their jurisdiction; wise use being a principle for managing these
				ecosystems which incorporates sustainable uses;
			h.	Review integrated management plan for each of the notified wetlands
				(including trans-boundary wetlands in coordination with Central
				Government), and within these plans consider continuation and
				support to traditional uses of wetlands which are harmonized with
				ecological character;
			i.	In cases wherein lands within boundary of notified wetlands or
				wetlands complex have private tenancy rights, recommend
				mechanisms for maintenance of ecological character through
				promotional activities;
			j.	Identify mechanisms for convergence of implementation of the
				management plan with the existing State level development plans and programmes;
			k.	Ensure enforcement of these rules and other relevant Acts, Rules
				and Regulations and on half-yearly basis (June and December of
				each calendar year) inform the concerned State Administration or
				Central Government on the status of such notified wetlands through a
				reporting mechanism;
			I.	Coordinate implementation of integrated management plans based
				on wise use principle through various line departments and other
				concerned agencies;
			m.	Function as nodal authority for all wetland specific authorities within the State;
			n.	Issue necessary directions for conservation and sustainable
				management of wetlands to the respective implementing agencies;
			0.	Undertake measures for enhancing awareness within stakeholders
				and local communities on values and functions of wetland;
			p.	Advise on any other matter suo-motu, or as referred by the State
				Government.
3	Sambhar Lake	18.10.2021	Con	versation, Promotion and Integrated Management of Sambhar Lake.
	Management		(i)	To protect and conserve the Sambhar Lake as a Ramsar site.
	Agency		(ii)	To protect the lake ecosystem with all its genetic diversity.
			(iii)	To survey, plan and prepare project proposal for Integrated Resource Management for all round development of the lake.
			(iv)	To execute various multi-dimensional and multi-sectoral developmental activities either itself or through some other agency.
			(v)	To cooperate and collaborate with other institutions of the State, National and International Institutions for holistic development of the lake.
			(vi)	To establish management information system for the lake.
			(vii)	To promote long-term multi-disciplinary research, prepare environment status report and establish education centre for the lake.
	0 of 30		1	

(viii)	To facilitate:
•	Control of silt load of streams and rivers and their de-siltation.
•	Watershed management of the catchment area of lake.
•	Optimum inflow of rainwater into the lake and maintenance of salinity gradient of lake water.
•	Scientific management of weeds in and around the lake area.
•	Judicious and sustainable use of the Lake water.
•	Conservation of flora and fauna including wildlife.
•	Eco-restoration of the lake area including habitat improvement of wetland birds.
•	Moderation of lake level within the safe limits. Promotion of ecologically compatible and sustainable domestic and international tourism. Socio-economic development of the area.
(ix)	To conduct Environmental Impact Assessment studies from time to time and take suitable corrective measures.
(x)	To upgrade the management and professional skills of the human resource associated with conservation and development of the lake.
(xi)	To co-operate and collaborate with other institutions in the State as well as National and International Institutions, to promote the cause of conservation and development of the Sambhar Lake and areas around it and its application in various fields.
(xii)	To ensure compliance of the Wetland (Conservation and Management) Rules, 2017.
(xiii)	To acquire by gift, purchase, exchange, lease, hire or otherwise any property movable or immovable and to construct, improve, alter, demolish, or repair and work as may be necessary or convenient for carrying on the activities of the Agency.
(xiv)	To draw, accept, make, and endorse for the purpose of the Agency, discount and negotiate Government of India and other promissory notes, bills of exchange, cheques, or other negotiable instruments.
(xv)	To do all other such things as may be necessary, incidental, or conducive to the attainment of all or any of the above objectives with or without collaboration of other Governments or Agencies.

(ix) धारा 4(1)बी— संस्था के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका

(X) धारा 4(1)बी— संस्था के अधिकारियों एंव कर्मचारियों की मासिक वेतन/मेहनताना का विवरण तथा क्षतिपूरक भत्ता यदि कोई हो।

विभाग के अधिकारियों / कर्मचारियों का कार्य वितरण

ויודיטו	विमान के अधिकारिया / कमचारिया का कार्य वितरण							
क्र.स.	पद का नाम	स्वीकृत	ग्रेड-पे / पे-लेवल	नाम				
		पद						
1.	प्रमुख शासन सचिव	1	L-15	श्री शिखर अग्रवाल				
2.	शासन सचिव	1	L-15c	श्री पवन कुमार उपाध्याय				
3.	निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव	1	L-11c	श्री विक्रम केशरी प्रधान				
4.	वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता	1	_	रिक्त				
5.	उप निदेशक	1		रिक्त				
6.	एनालिस्ट कम प्रोग्रामर	1	6600 (L-16)	श्री जगबीर सिंह मनराल				
7.	प्रोग्रामर	1	4800 (L-12)	श्री राकेश कानोड़िया				
8.	वरिष्ट विधि अधिकारी	1	4800 (L-12)	श्री विनोद कुमार ड़ाबी				
9.	निजी सहायक	2	4200 (L-11)	1. श्री देवेन्द्र कुमार				
				2. रिक्त				
10.	सहायक लेखाधिकारी-II	1	4200 (L-11)	श्री सोहन सिंह तंवर				
11.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	1	4200 (L-11)	श्री प्रवीण कुमार शर्मा				
12.	कनिष्ठ लेखाकार	1	3600 (L-10)	श्रीमती मंजू यादव				
13.	सहायक प्रोग्रामर	1	3600 (L-10)	श्री गिरधारी लाल वर्मा				
14.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	1	3600 (L-10)	श्री कैलाश मीणा				
15.	सूचना सहायक	1	2800 L-8)	श्रीमती ममता यादव				
16.	वरिष्ठ सहायक (लिपिक ग्रेड़—1)	2	_	रिक्त				
17.	कनिष्ठं सहायक	2	2400 (L-5)	1 .श्री राजेश कुमार नागर				
				2. श्री रामचन्द्र चन्देलिया				
18.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	3	_	रिक्त				

सचिवालय केंडर के स्वीकृत पद

क्र. स.	पद नाम	स्वीकृत पद	ग्रेड-पे	अधिकारी/कर्मचारी का नाम
1.	सहायक शासन सचिव	1	6600 (L-16)	श्रीमती आशा जैन
2.	सहायक अनुभागाधिकारी	1	4200 (L-11)	श्री अनिल कुमार शर्मा
3.	लिपिक ग्रेड—1	2	2800 (L-8)	श्री विजय सिंह रावत
4.	लिपिक ग्रेड—2	1	2400 (L-5)	श्री रणजीत सिंह
5.	सहायक कर्मचारी	1	1700 (L-1)	श्रीमती मधू पारिक

(xi) धारा संस्था के प्रत्येक एजेन्सी को आवंटित बजट, 4(1)बी-(xi) योजनाओं, सभी संभावित खर्चों का विवरण तथा आवंटन पर टिप्पणी।

पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मे विभिन्न मदों के अन्तर्गत आवंटित बजट राशि का विवरण

पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का वर्ष 2021—22 के लिए राज्य निधि (Other Than Scheme) मद में राशि रू 141.36 लाख तथा Scheme मद में राशि रू 719.03 लाख का प्रावधान रखा गया है। वर्षवार व्यय की स्थिति निम्नानुसार है:—

वास्तविक व्यय

आयोजना व्यय (रूपये लाखों में) (2017—18 से 2021—22 तक)

	(2017 10 11 2021 22 11 17)						
क्रं.सं.	मदवार विवरण	2017—18	2018-19	2019-20	2020—21	Up to	
						January 2021–22	
1	वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते	35.50	31.04	61.51	70.48	54.53	
2	विज्ञापन एवं प्रचार, प्रसार व्यय	27.59	32.57	35.82	48.69	30.09	
3	राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना	0.00	437.00	0.00	0.00	0.00	
4	राजस्थान जैव विविधता बोर्ड	30.00	169.00	130.98	61.00	45.00	
5	राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	प्रशिक्षण, भ्रमण एवं सम्मेलन	6.88	4.97	21.35	25.99	16.26	
7	विभागो द्वारा विशिष्ट सेवाओ पर व्यय	0.00	0.00	0.00	2.21	40.28	
8	वेटलैण्ड ऑथोरिटी	0.00	0.00	0.00	0.00	58.34	
	योग	99.97	674.58	249.66	208.37	244.49	

आयोजना भिन्न व्यय (रूपये लाखो में) (2017—18 से 2021—22 तक)

क्रं.सं.	मदवार विवरण	2017—18	2018—19	2019—20	2020—21	Up to January 2021–22
1	प्रशासनिक व्यय	136.33	151.53	109.63	110.28	105.44
	योग	136.33	151.53	109.63	110.28	105.44

(xii) धारा 4(1) अनुदानित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की व्यवस्था, $aldel{algorithm} -(xii)$ लागत, लाभान्वितों का विवरण।

₋शून्य—

(xiii) धारा 4(1) रियायत पाने वाले व्यक्तियों का विवरण, अधिकार पत्र बी—(xiii) आदि।

-शून्य—

(xiv) धारा 4(1) सूचनाओं की वर्तमान में कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था बी–(xiv)

पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से संबंधित सूचना वेब साइट पर उपलब्ध होगी।

(XV) धारा 4(1) आम नागरिकों को सूचना प्राप्ति हेतु दी जाने वाली $aldet{al} - (V)$ सुविधाओं का विवरण, समयाविध।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना किस प्रकार प्राप्त होगी

- 1. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदक को निर्धारित प्रपत्र में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा (प्रारूप अनुसंलग्नक **अ**)
- 2. प्रार्थना पत्र के साथ 10 / रु. की नकद प्राप्ति रसीद / बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्र चैक जो उप वन संरक्षक पदेन उप शासन सचिव, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को देय हो, संलग्न होना चाहिए।
- 3. सूचना प्रदान करने हेतु निर्धारित फीस / शुल्क:--
- 4. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 की उप धारा 1 के अन्तर्गत नकद प्राप्ति रसीद / बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्र चैक जो उप वन संरक्षक पदेन उप शासन सचिव, पर्यावरण विभाग को निम्न दर से देय होगाः
 - (अ) 2 रु. प्रति पृष्ठ (ए-4/ए-3 साइज)
 - (ब) लार्ज साइज पृष्ट का वास्तविक शुल्क
 - (स) सैम्पल / माडल का वास्तविक शुल्क एवं
 - (द) अभिलेखों का अवलोकन एवं निरीक्षण करने पर प्रथम एक घंटे का कोई शुल्क नहीं होगा। प्रथम एक घंटे के अतिरिक्त प्रत्येक 15 मिनिट या उसके किसी भाग पर 5 रु. अतिरिक्त शुल्क लिया जावेगा।
- 5. सूचना का अधिकार नियम 2005 की धारा 7 की उप धारा 5 के अन्तर्गत नकद प्राप्ति रसीद / बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्र चैक जो उप वन संरक्षक पदेन उप शासन सचिव, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को निम्न दर से देय होगाः
 - (अ) डिस्क / फ्लोपी के आवेदन पर 50 रु. प्रति फ्लोपी शुल्क / फीस देय होगा।
 - (ब) मुद्रत रूप में प्रदत्त सूचना के लिए ऐसे प्रकाशन की निर्धारित कीमत अथवा ऐसे प्रकाशनों की छाया प्रति के लिए 2 रु. प्रति पृष्ट

राजस्थान सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आवेदन प्रपत्र

(आवेदक को अपना आवेदन दो प्रतियों में निर्धारित शुल्क के साथ पर्यावरण विभाग की आवक—जावक शाखा में प्रस्तुत करना होगा)

- 1. (अ) आवेदक का नाम एवं पता
 - (ब) ई-मेल पता यदि हो
 - (स) फोन नम्बर / फैक्स नम्बर
- 2. आवेदन प्रस्तुत करने का दिनांक
- 2. संबंधित विषय
- 3. आवेदित सूचना का विस्तृत विवरण
- 4. सूचना किस अवधि से संबंधित है
- 5. फीस / शुल्क (नकद / डीडी / बैंकर चैक) का विवरण
- 6. सूचना उपलब्ध कराने की देय तिथि (आवेदन प्रस्तुत करने के 30 दिवस में)
- 7. आवेदक सूचना किस प्रकार प्राप्त करना चाहता है:--
 - (अ) डाक से
 - (ब) व्यक्तिगत रूप से
 - (स) ई-मेल
 - (द) फैक्स

हस्ताक्षर मय नाम व दिनांक

(xvi) धारा 4(1) जन सूचना अधिकारी के नाम, पद एवं अन्य विवरण बी—(xv)

सूचना का अधिकार अधिनियम के चैप्टर II के अनुच्छेद 4 बी (XI) के अन्तर्गत सूचना अधिकारियों का विवरण—

शासन सचिव, अपीलीय अधिकारी, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, कमरा नम्बर 5221, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर, दूरभाष संख्या 0141–2227838 (कार्यालय)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, राज्य लोक सूचना अधिकारी, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, कमरा नम्बर 8236, उत्तरी पश्चिमी भवन, शासन सचिवालय, जयपुर, दूरभाष संख्या—2227669(कार्यालय) (xvii) धारा 4(1) ऐसी अन्य सूचनाएं जो निर्धारित एवं आदिनांकित की बी—(xvi) जा सके।

–शून्य–